

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या:—एमई—3/2012/1420

लखनऊ:दिनांक: 09 जुलाई,2012

प्रेस विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की जनसंख्या अनुपात में मुदालियर कमेटी द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार सभी मण्डलों में तथा कतिपय ऐसे बड़े जनपदों, जहाँ कोई मेडिकल कालेज स्थापित नहीं है, में चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा उपचार की सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से निजी निवेश के माध्यम से मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु नीति निर्धारित किए जाने के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में एक बैठक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, उ०प्र०, छठा तल जवाहर, अशोक मार्ग, लखनऊ के सभाकक्ष में दिनांक—19जुलाई, 2012 को पूर्वाह्न 11:00 बजे आयोजित की गयी है। उक्त बैठक में निजी क्षेत्र में पूंजी निवेश हेतु इच्छुक संस्थायें आमंत्रित हैं।

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उत्तर प्रदेश